

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224204
SG-DL-E-05012021-224204

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 256
No. 1]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942	[N. C. T. D. No. 256

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

एफ.1/पीए/डीडब्ल्यूसीडी/एसएलएससी/2020-21/15515-44.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा धारा 2 की उपधारा (59) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को नियुक्त करती है। ये बोर्ड उपरोक्त अधिनियम के द्वारा सभी शक्तियों एवं कर्तव्यों का समुचित प्रयोग विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करेगा।

क्रम सं.	सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का नाम	सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का पता
1	2	3
1	डॉ. दीप्ती दत्त शर्मा	आई-104, सेठी मेक्स रॉयल, सेक्टर-76 नोएडा, यू.पी.-201301
2	चन्द्र सुमन कुमार	ए-29, द्वितीय तल, गली नं.-1, हरदेव नगर, झड़ोदा माझरा, बुराड़ी, दिल्ली-110084

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) नियम 2016 के अंतर्गत रिक्त पद के लिए उपरोक्त सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

दिल्ली राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
के आदेश से,

डॉ. रश्मि सिंह, निदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग)

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 31st December, 2020

F. No. F1/PA/DWCD/SLSC/20-21/15515-44.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with clause 59 of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the below mentioned persons as Member Social Workers against the vacant post for Juvenile Justice Boards for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

Sl. No.	Name of Member Social Workers	Address
(1)	(2)	(3)
(1)	Dr. Deepti Dutt Sharma	I-104, Sethi Max Royal, Sector-76, Noida, U.P-201301
(2)	Sh. Chandra Suman Kumar	A-29, Second Floor, Street No, 1, Hardev Nagar, Jharoda Mazara, Burari, Delhi- 110084

The tenure of the aforesaid Member Social Workers shall be three years from the date of the Notification.

By Order and in the Name of the Government of the
National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Director, (Department of Women & Child Development)